



बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
BILASPUR VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (CHHATTISGARH)

क्रमांक / 0097 / परीक्षा-गोपनीय / 2018

बिलासपुर, दिनांक 27 / 02 / 2018

—:केन्द्राध्यक्षों को निर्देश (संशोधित):—

विश्वविद्यालयीन मुख्य परीक्षा-2018

सत्र 2017-18 की मुख्य परीक्षा दिनांक 07.03.2018 से विश्वविद्यालय अधिसूचना क्रमांक/0041/परीक्षा-गोपनीय/2018 बिलासपुर दिनांक 06.02.2018 द्वारा अधिसूचित परीक्षा केन्द्रों में अधिसूचित अंतिम समय-सारणी अनुसार तीन पाली में सम्पन्न होगी। परीक्षा केन्द्रों में विश्वविद्यालयीन परीक्षा की गोपनीयता एवं विश्वसनीयता बनाये रखते हुए परीक्षार्थ निर्दिष्ट रूप से सजाविलित किये जाने हेतु विश्वविद्यालय अधिसूचना क्रमांक/0075/परीक्षा-गोपनीय/2018 बिलासपुर दिनांक 26.02.2018 द्वारा सभी परीक्षा केन्द्रों में वरिष्ठ केन्द्राध्यक्ष/केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। परीक्षा संचालन हेतु परीक्षा केन्द्रों के लिए निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं-

01. वरिष्ठ केन्द्राध्यक्ष

संगठित परीक्षा केन्द्र में कार्यरत प्राचार्य अथवा प्राचार्य द्वारा अनुमोदित एवं/अथवा विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ केन्द्राध्यक्ष होंगे। वरिष्ठ केन्द्राध्यक्ष को पारिश्रमिक रूपये 200/- प्रति परीक्षा दिवस की दर से देय होगा।

02. केन्द्राध्यक्ष

संगठित परीक्षा केन्द्र में प्राचार्य द्वारा अनुमोदित एवं/अथवा विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त एक केन्द्राध्यक्ष होंगे। केन्द्राध्यक्ष को पारिश्रमिक रूपये 125/- प्रति पाली की दर से देय होगा। जिस परीक्षा केन्द्र में वरिष्ठ केन्द्राध्यक्ष एवं केन्द्राध्यक्ष के दायित्वों का निर्वहन केवल एक अधिकारी (वरिष्ठ केन्द्राध्यक्ष-सह-केन्द्राध्यक्ष) द्वारा किया जाएगा, उसे पारिश्रमिक रूपये 250/- प्रति परीक्षा दिवस की दर से देय होगा।

03. सहायक केन्द्राध्यक्ष

परीक्षा केन्द्र में पंजीकृत परीक्षार्थियों की संख्या 300 तक होने पर केन्द्राध्यक्ष को परीक्षा कार्य में सहयोग करने के लिए संगठित परीक्षा केन्द्र के वरिष्ठ केन्द्राध्यक्ष द्वारा अनुमोदित एवं/अथवा विश्वविद्यालय द्वारा एक सहायक केन्द्राध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। परीक्षार्थियों की संख्या 300 से अधिक होने पर प्रति 300 परीक्षार्थियों की संख्या पर वरिष्ठ केन्द्राध्यक्ष द्वारा अनुमोदित एवं/अथवा विश्वविद्यालय द्वारा एक अतिरिक्त सहायक केन्द्राध्यक्ष नियुक्त किये जा सकेंगे। सहायक केन्द्राध्यक्ष को पारिश्रमिक रूपये 100/- प्रति पाली की दर से देय होगा।

04. वीक्षक

परीक्षा केन्द्र में न्यूनतम 25 परीक्षार्थियों पर एक वीक्षक/निरीक्षक की नियुक्ति अस्थायी रूप से पाली केन्द्राध्यक्ष के द्वारा की जायेगी, परंतु एक कक्षा में कम से कम दो वीक्षकों की नियुक्ति अनिवार्य होगी। वीक्षक को पारिश्रमिक रु. 75/- प्रति पाली की दर से देय होगा। स्थायी वीक्षक के रूप में नियुक्ति मान्य नहीं होगी। वरिष्ठ केन्द्राध्यक्ष/केन्द्राध्यक्ष के आदेश से एक व्यक्ति एक दिन में एक से अधिक पालियों में वीक्षक/निरीक्षक का कार्य कर सकेंगा। आवश्यकता होने पर अन्य शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति भी वीक्षक के रूप में की जा सकती है। इसके अलावा प्राचार्य/वरिष्ठ केन्द्राध्यक्ष अपने महाविद्यालय के प्रयोगशाला शिक्षकों, अतिथि शिक्षकों, अन्य योग्य कर्मचारियों एवं शिक्षकों की नियुक्ति कर सकते हैं।

दिनांक / पत्रिका / मार्गदर्शिका / 2018



(Signature)

Principal

Govt. Gramya Bharati College
Hardi Bazar, Distt.- Korba (C.G.)

05. परीक्षा केन्द्र में तिथि एवं पालीवार परीक्षार्थियों की संख्या-

परीक्षा समय सारणी के अनुसार परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या निम्न प्रश्न में तैयार कर लें-

परीक्षा की तिथि	कक्षा/परीक्षा का नाम	परीक्षार्थियों की संख्या		
		प्रथम पाली	द्वितीय पाली	तृतीय पाली
1	2	3	4	5

उपरोक्त जानकारी की एक प्रति विश्वविद्यालय को भेजते हुए एक प्रति निष्पटस्थ आरक्षी केन्द्रों को जलका करती हुए यह अनुरोध करें कि प्रत्येक परीक्षा के दिन समुचित रूप से कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने में सहयोग करें।

06. परीक्षा केन्द्र में उत्तरपुस्तिकाओं का संभारण -

विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा केन्द्र में उपलब्ध कराई गई उत्तरपुस्तिकाओं का निम्नानुसार प्रारूप में एक फंजी में संभारण करें -

क्र.	परीक्षा की तिथि	मुख्य उत्तरपुस्तिका		पूरक उत्तरपुस्तिका	
		उपयोग में लाई गई उत्तरपुस्तिकाओं की संख्या	शेष उत्तरपुस्तिकाओं की संख्या	उपयोग में लाई गई उत्तरपुस्तिकाओं की संख्या	शेष उत्तरपुस्तिकाओं की संख्या

07. परीक्षा केन्द्र में गोपनीय प्रश्न-पत्रों का संभारण -

विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा केन्द्र में उपलब्ध कराई गई गोपनीय प्रश्न-पत्रों का निम्नानुसार प्रारूप में एक फंजी में संभारण करें -

क्र.	तिथि	विषय	प्रश्नपत्र कोड	विश्वविद्यालय से प्राप्त प्रश्नपत्रों के केन्द्रों की संख्या	विश्वविद्यालय से प्राप्त प्रश्नपत्रों की संख्या	उपयोग में लाई गई प्रश्नपत्रों की संख्या	शेष प्रश्नपत्रों की संख्या

08. केन्द्र व्यय

परीक्षा केन्द्र में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या एवं पूर्व वर्ष की मुख्य/सेमेस्टर परीक्षा में व्यय राशि को ध्यान में रखते हुए परीक्षा प्रारंभ होने के एक सप्ताह पूर्व केन्द्र अधिगम के प्रथम चिह्न की राशि स्वीकृत कर संबंधित परीक्षा केन्द्र के बैंक अकाउंट में सीधे जमा कर दी जायेगी। केन्द्र अधिगम की शेष राशि स्वीकृत करने हेतु संबंधित परीक्षा केन्द्र के प्राचार्य परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात् कुलसचिव, विलासपुर विश्वविद्यालय को प्रस्ताव भेजेंगे। प्रस्ताव में यह भी स्पष्ट करेंगे कि आपके परीक्षा केन्द्र में मुख्य परीक्षा-2018 के संचालन में कुल व्यय कितना आयेगा। परीक्षा समाप्ति के पश्चात् दो माह के भीतर विश्वविद्यालय में केन्द्र अधिगम का व्यय लेखा अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा। संबंधित परीक्षा केन्द्रों को परीक्षा व्यय से संबंधित राशि देयकों/प्रमाणपत्रों को सत्यापित/प्रमाणित कर एवं संलग्न कर अंकेक्षण हेतु विधिवत विलासपुर विश्वविद्यालय को भेजने होंगे।

दि. दि. / पक्ष / पार्सल नं. / 2018



(Signature)

Page 2 of 7

Principal
Govt. Gramya Bharati College
Hardi Bazar, Distt. - Korba (C.G.)

विश्वविद्यालयीन मुख्य परीक्षा-2018 केन्द्र अग्रिम हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव भेजा जाये-

क्र.	व्यय का विवरण	संगणित व्यय राशि
1	संगणित हेतु घाले परीक्षार्थियों की कुल संख्या (सभी पाठियों में)	
2	परीक्षा कार्य में सहाय्य तृतीय श्रेणी कर्मचारियों का पारिश्रमिक (रु. 4.00 प्रति परीक्षार्थी की दर से)	
3	परीक्षा कार्य में सहाय्य सहाय्य श्रेणी कर्मचारियों का पारिश्रमिक (रु. 3.00 प्रति परीक्षार्थी की दर से)	
4	प्रायोगिक कार्य में कर्मचारियों का पारिश्रमिक (रु. 4.00 प्रति परीक्षार्थी की दर से अधिकतम रु. 50/-)	
5	परीक्षा विधिवार क्रमशः प्रथम/तृतीय पाली में संगणित हेतु घाले परीक्षार्थियों की संख्या के आधार पर क्रमशः चरिष्ठ केन्द्राध्यक्ष/केन्द्राध्यक्ष/ सहायक केन्द्राध्यक्ष/ पीठाध्यक्ष के पारिश्रमिक पर होने वाले व्यय राशि	
6	परीक्षा कार्य के लिए देय व्यय (रुपये 6.00 प्रति परीक्षार्थी की दर से अधिकतम रूपसे 1500)	
7	प्रायोगिक परीक्षा की सामग्रियां व व्यय रु. 2.00 प्रति परीक्षार्थी (स्नातक कक्षाओं हेतु) एवं रु. 4.00 प्रति परीक्षार्थी (स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु)	
8	यात्रा व्यय (आवश्यकतानुसार)	
	कुल योग	

टीप-

- परीक्षा केन्द्र में प्रत्येक कक्षा में परीक्षार्थियों की संख्या 600 तक 01 घाटरमें एक दिवस के लिए होगी एवं उन्हें पारिश्रमिक जिलाधीन द्वारा अनुकूल श्रमिक के लिए निर्धारित दर पर देय होगा। छात्रों के लिए सहाय्य व्यवस्था कक्षा के बाहर होगी।
- किन्ती भी परिस्थितियों में अस्थायी मूकत्व निर्माण, किराये के फर्नीचर जैसे व्यय विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये केन्द्र अग्रिम से स्विकार्य नहीं होगा।
- विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा के लिए दिये गये केन्द्र अग्रिम से निम्न गदों पर ही व्यय अंशक्षण एवं सामावोजन के लिए स्वीकार करता है।
 - प्रायोगिक परीक्षा हेतु जाने वाले सह्य परीक्षकों का यात्रा देयक वाट्य एवं आंतरिक परीक्षकों का मासिक एवं निर्धारित दरों पर प्रायोगिक परीक्षकों हेतु अन्य व्यय।
 - चरिष्ठ केन्द्राध्यक्ष का पारिश्रमिक रु. _____
 - केन्द्राध्यक्ष का पारिश्रमिक रु. _____
 - सहायक केन्द्राध्यक्ष का पारिश्रमिक रु. _____
 - निरीक्षक/रीक्षक का पारिश्रमिक देयका रु. _____
 - तृतीय वर्ग कर्मचारी का पारिश्रमिक रु. _____
 - चतुर्थ वर्ग कर्मचारी का पारिश्रमिक रु. _____
 - स्टेशनरी व्यय (रु. 6.00 प्रति परीक्षार्थी की दर से) रु. _____
- पूर्व वर्ग की परीक्षाओं के अग्रिम से अन्य की गदों स्थाई सामग्रियों का उपयोग प्रत्येक विश्वविद्यालयीन परीक्षा के लिए किया जाना चाहिए। अन्यायकारक रूप से बढ़-घट कर परीक्षा अग्रिम से स्टेशनरी और अन्य असंगत सामग्री का क्रय स्वीकार्य नहीं होगा।
- विश्वविद्यालय के निर्णयानुसार छात्रों से परीक्षा शुल्क के साथ लिए गये अंशक्षण शुल्क का वितरण एवं परीक्षा कार्य में सहाय्य तृतीय एवं सहाय्य श्रेणी कर्मचारियों का पारिश्रमिक निम्नानुसार सत्र 2017-18 की परीक्षा में वितरित होगा-

क्रमक	वितरण गद	राशि
01	अग्रपण अधिकारी/प्रचार्य	रु. 6.00
02	रजिस्ट्रार/प्रभारी अधिकारी	रु. 2.00
03	तृतीय वर्ग कर्मचारी	रु. 5.00
04	चतुर्थ वर्ग कर्मचारी	रु. 2.00
05	आफिसीक व्यय	रु. 12.00
06	अज्ञापी वितरण	रु. 3.00
	कुल राशि	30.00 रूपये

दि. दि. / पत्रिका / कार्यदर्शन / 2018



(Signature)

Principal
Govt. Gramya Bharati College
Hardi Bazar, Distt. - Korba (C.G.)

9. दिव्यांग/अक्षम/नेत्रहीन परीक्षार्थियों को लेखक की सुविधा -

यदि परीक्षार्थी को शारीरिक अक्षमता/चिकित्सागत अथवा चिकित्सागत शारीरिक कारणों से (शक्षम चिकित्सा अधिकारी से प्रमाणित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर) लिखने में असमर्थ हो तो अध्यादेश-5 की कंडिका (6) के प्राधानानुसार एवं समय-समय पर प्रसारित अन्य दिशा-निर्देशों के अनुसार वरिष्ठ केंद्राध्यक्ष की लिखित अनुमति के परभाव ही परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थी को लेखक की सुविधा दी जा सकेगी तथा इसकी लिखित सूचना वरिष्ठ केंद्राध्यक्ष कुलसचिव, विलासपुर विश्वविद्यालय को भी देने। नेत्रहीन परीक्षार्थियों को लेखक सुविधा के साथ-साथ एक पाली में निर्धारित परीक्षा अवधि के अतिरिक्त, 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जायेगा। ऐसे परीक्षार्थियों के लिए पृथक बैठक व्यवस्था की जाये। दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए बैठक व्यवस्था यथासंभव परीक्षा भवन के भूतल में ही करे, ताकि परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने में किसी तरह की परेशानी न हो।

10. केंद्र में परीक्षार्थियों की बैठक एवं अन्य व्यवस्था -

परीक्षा कार्यक्रम तैयार करते समय एवं परीक्षा केंद्रों का निर्धारण करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि परीक्षा के दिन एच पासी में परीक्षार्थियों की संख्या परीक्षा केंद्र की बैठक क्षमता से अधिक न हो। यदि किसी दिन ऐसी स्थिति आती है कि केंद्र में उपलब्ध फर्नीचर की संख्या /बैठक व्यवस्था से अधिक परीक्षार्थी हो रहे हों तो, निकटस्थ शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला से या निकटस्थ शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय से (जो परीक्षा तिथि में किसी अन्य परीक्षा का केंद्र न हो), विश्वविद्यालय से अनुमति लेकर उपकेंद्र बनाकर परीक्षा सम्पन्न की जा सकेगी। विश्वविद्यालय की भूगणुमति के बिना किराये का फर्नीचर, टेन्ट एवं शानियाना न लिया जाये। साथ ही परीक्षा केंद्र में साफ-सफाई के साथ प्रसाधन की समुचित व्यवस्था एवं प्रसाधन में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखे।

11. केंद्र में पुलिस व्यवस्था -

परीक्षा केंद्र सुरक्षा तथा परीक्षा कार्यक्रम संलग्न करते हुए माननीय कुलपति महोदय/कुलसचिव द्वारा जिले के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा, शांति एवं कानून व्यवस्था बनाने हेतु पत्र भेजा गया है, तथापि अपने निकटस्थ आरक्षी केंद्र को परीक्षा तिथि एवं फालीवार परीक्षार्थी संख्या संबंधी जानकारी की प्रति संलग्न करते हुए अपनी ओर से परीक्षार्थी प्रारंभ होने के एक सप्ताह पूर्व से अनुरोध पत्र भेज दें।

12. प्रश्न पत्रों का प्रदाय एवं रख-रखाव -

प्रश्न पत्रों के सील बंद लिफाफे एवं परीक्षा से संबंधित अन्य परीक्षा एवं गोपनीय सामग्रियों को विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा परीक्षा प्रारंभ होने की तिथि से यथासमय 01 या 02 दिवस पूर्व परीक्षा केंद्र में पहुंचाये जायेंगे। प्रश्न पत्रों के सीलबंद लिफाफों/पैकेट्स को यथासंभव आरक्षी केंद्र में रखा जाये। प्रत्येक परीक्षा तिथि में फालीवार परीक्षा प्रारंभ होने के यथा समय 15 मिनट पूर्व प्रश्नपत्रों के लिफाफों को संबंधित पाली के केंद्राध्यक्ष की उपस्थिति में समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करने के परभाव ही खोले जायेंगे। परीक्षा केंद्र के स्ट्रांग रूम में (जहां प्रश्नपत्रों के लिफाफे सुरक्षित रखे गये हैं) परीक्षा कार्य में संलग्न केंद्राध्यक्ष के अलावा गोर्गटल फोन लेकर किसी भी अन्य व्यक्ति को प्रवेश न करने दें।

13. उद्बन्धनों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण -

परीक्षा के दौरान परीक्षा की गोपनीयता एवं विश्वसनीयता बनाये रखने के लिए विश्वविद्यालय की ओर से परीक्षा केंद्रों के आकस्मिक निरीक्षण हेतु उद्बन्धन दल का गठन किया गया है। यह दस्ता बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी परीक्षा केंद्र आकस्मिक निरीक्षण करेगा। उद्बन्धन दल के सदस्यों को परीक्षा केंद्र में कृपया निम्नानुसार सहयोग प्रदान करें-

1. परीक्षा कक्ष में निरीक्षण करने दें। यदि वे नकल करते हुये किसी परीक्षार्थी को पकड़ते हैं तो, नकल प्रकरण बनाने में समुचित सहयोग करें।



[Signature]
Page 4 of 7

Principal
Govt. Gramya Bharati College
Hardi Bazar, Dist. Korba (C.G.)

2. उड़नदस्ता दल द्वारा केन्द्र का निरीक्षण करते समय चाही गई परीक्षा संबंधी जानकारी व दस्तावेज अवलाकगार्थ उपलब्ध करावें।
3. लिखित उत्तर पुस्तिकाओं के बंडल विश्वविद्यालय को उपलब्ध करने संबंधी अभिलेख दिखाकर अभिमत अंकित करा लें।
4. अन्य जानकारियां उड़नदस्ता दल के अपेक्षा के अनुरूप दी जावें।

14. परीक्षा के दौरान शिकायत/सहायता हेतु -

परीक्षा केन्द्र में परीक्षा के दौरान प्रश्नपत्रों में त्रुटियों, विषय से संबंधित प्रश्न न पूछे जाने, पाठ्यक्रम के बाहर से प्रश्न पूछे जाने आदि के संबंध में पूछताछ के लिए एवं आवश्यक तलाश/भाग-दर्शन/दिशा-निर्देश हेतु सीधे परीक्षा नियंत्रक एवं/अथवा सहायक कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) से उनके मोबाईल नंबर में संपर्क कर सीधे संपाद कर सकेंगे।

परीक्षा नियंत्रक (डॉ. पी.के. पाण्डेय) 7895370386
सहायक कुलसचिव (सी.एल. टंडन) 9406260442

15. पर्यवेक्षक की नियुक्ति-

आवश्यकता होने पर विश्वविद्यालय द्वारा संवेदनशील परीक्षा केन्द्रों में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, जिनके नियंत्रण में संबंधित परीक्षा केन्द्र में परीक्षाएं संचालित होंगी।

16. अनुपस्थित एवं यू.एफ.एन. परीक्षार्थियों की जानकारी ऑनलाईन देना-

प्रत्येक परीक्षा केन्द्र में प्रत्येक पाली में कक्षावार/प्रश्नपत्रवार अनुपस्थित परीक्षार्थियों एवं यू.एफ.एन. परीक्षार्थियों की जानकारी के अनुक्रमांक दर्ज करने हेतु फर्जी तैयार करें। प्रत्येक पाली में अनुपस्थित एवं यू.एफ.एन. परीक्षार्थियों परीक्षार्थियों की संख्या एवं अनुक्रमांक विश्वविद्यालय के पोर्टल पर अनिवार्यतः ऑनलाईन दर्ज करें तथा परीक्षा समाप्ति के बाद अनुपस्थित परीक्षार्थियों के अनुक्रमांक की सूची (पोर्टल में दर्ज करने के पश्चात डाउनलोड कर) प्रश्नपत्रवार लिखित उत्तरपुस्तिकाओं के बंडल में अवश्य रखें। परीक्षा केन्द्र में परीक्षा सम्पन्न होने के बाद कक्षावार विषय/प्रश्नपत्र में अनुपस्थित परीक्षार्थियों के अनुक्रमांक की सूची एवं परीक्षार्थियों के उपस्थिति-पत्रक/अभिज्ञानपत्र परीक्षा विभाग को भी उपलब्ध कराये। परीक्षा केन्द्रों के लिए इस सचय में जारी पृथक निर्देश का भी अवलोकन एवं पालन अनिवार्यतः करें। विशेष निर्देश- परीक्षा समाप्ति के पश्चात त्रिदिवार, विषयवार, प्रश्नपत्रवार अनुपस्थित परीक्षार्थियों की अनुक्रमांक सहित जानकारी परीक्षा नियंत्रक को अनिवार्य रूप से भेजे।

17. परीक्षा के दौरान नकल की रोकथाम-

परीक्षा के दौरान नकल करना अपराध है। परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने से पूर्व सूचित करे कि परीक्षा कक्ष में प्रवेश-पत्र एवं लेखन सामग्री के अतिरिक्त कोई फेपर, मोबाईल फोन, डिजिटल घड़ी, पेजर, माइक्रोफोन आदि साथ लेकर न जाये। उचित होगा कि परीक्षा कक्ष में प्रवेश देने के पूर्व पुरुष परीक्षार्थियों की तलाशी पुरुष शिक्षकों/कर्मचारियों द्वारा एवं महिला परीक्षार्थियों की तलाशी महिला शिक्षकों/कर्मचारियों द्वारा ली जाए।

परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी के पास किसी तरह का अन्य सामान, यस्त्र एवं शरीर के किसी भी अंग में वेन या पैरिल से लिखा हुआ पाये जाने, हथियार आदि ले जाने पर नकल प्रकरण बनाया जा सकेगा। परीक्षा मध्य में केंद्राध्यक्ष/वीक्षकों के निर्देशों का पालन नहीं किये जाने पर अथवा अमर/अशोभनीय/अश्लील व्यवहार करने पर वरिष्ठ केंद्राध्यक्ष द्वारा अनुसन्धा किये जाने पर परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। परीक्षा केन्द्र में परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा परीक्षा कार्य में बाधा पहुंचाने पर केंद्राध्यक्ष/वरिष्ठ केंद्राध्यक्ष/उड़नदस्ता दल द्वारा संबंधित के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किया जा सकता है। यदि परीक्षार्थी नकल प्रकरण बनाते समय निर्धारित प्रश्न में आवश्यक जानकारी भरने में सहयोग नहीं करता है अथवा मना करता है अथवा उत्तर पुस्तिका छोड़कर परीक्षा कक्ष से बाहर निकल जाता है तो केंद्राध्यक्ष उक्त प्रश्न में अपनी टीप अनिवार्यतः दर्ज करें एवं केंद्राध्यक्ष की सील लगाकर हस्ताक्षर अवश्य करें।



[Handwritten Signature]
Page 8 of 7

नकल प्रकरण बनाते समय परीक्षार्थी से प्राप्त सागरी उत्तर पुस्तिका के साथ संलग्न की जाए तथा उसे वीदाक एवं केन्दाध्यक्ष के हस्ताक्षर से अवश्य प्रमाणित किया जाए। नकल प्रकरण से संबंधित उत्तर पुस्तिकाएँ उसी दिन विषय/प्रश्नपत्रवार पृथक लिफाफे में सील बंद की जाएँ एवं लिफाफे के ऊपर बिन्दु क्रमांक 19 अनुसार विस्तृत विवरण अंकित किया जाये। एवं अतिरिक्त विशेष वाहक के माध्यम से अथवा पञ्जीकृत डाक के माध्यम से परीक्षा नियंत्रक को सूचित कर प्रेषित किया जाये।

18. लिखित उत्तर पुस्तिकाओं को सील बंद रखना-

परीक्षा समाप्त होने के तुरंत बाद संबंधित विषय कोड के पर्ण/प्रतिपर्ण में दर्ज अनुक्रमांक के क्रमानुसार उत्तरपुस्तिकाओं को जमाकर बंडल तैयार करेंगे। उत्तरपुस्तिकाओं को उपस्थित परीक्षार्थियों के अनुक्रमांक से अवश्य गिला लेंगे। तत्पश्चात् प्रत्येक प्रश्नपत्र कोड के पृथक-पृथक बंडल बनाये। एक बंडल में एक ही विषय/प्रश्नपत्र कोड के उत्तरपुस्तिकाएँ रखे एवं बंडल में अधिकतम 300 उत्तर पुस्तिकाएँ ही रखें। यदि इस प्रक्रिया में 20 तक उत्तर पुस्तिकाएँ शेष बच रही हों तो, उन उत्तर पुस्तिकाओं को अंतिम बंडल के साथ रखी जायें। इस प्रकार अंतिम बंडल में 320 उत्तर पुस्तिकाएँ तक हो सकती है। अधिक उत्तर पुस्तिकाएँ शेष होने पर पृथक-पृथक बंडल बनाया जाये। बंडल कपड़े की थैली में रखे तथा सील बंद करे एवं बंडल/लिफाफे पर निम्नानुसार विस्तृत विवरण अंकित करे। परीक्षा केन्द्रों के लिए इस संबंध में जारी पृथक निर्देश का भी अवलोकन एवं पालन अनिवार्यतः करे।

19. उत्तरपुस्तिकाओं के प्रत्येक बंडल के ऊपर निम्नलिखित विवरण अवश्य अंकित करे-

- | | |
|--------------------------------------|-------|
| परीक्षा केन्द्र क्रमांक - | _____ |
| परीक्षा कोड एवं नाम - | _____ |
| विषय/प्रश्नपत्र कोड - | _____ |
| विषय/प्रश्नपत्र का नाम - | _____ |
| बंडल में उत्तरपुस्तिकाओं की संख्या - | _____ |
| परीक्षा समाप्त होने की तिथि - | _____ |

20. उत्तरपुस्तिकाओं के बंडल में पर्ण/प्रतिपर्ण रखना (अंतिमहस्तपुर्ण) -

प्रत्येक थैली में सम्मिलित होने वाली परीक्षा के विषय कोड के अनुसार पर्ण/प्रतिपर्ण विश्वविद्यालय द्वारा सफलता करवाया गया है। परीक्षा समाप्त होने के तुरंत बाद संबंधित विषय कोड के पर्ण/प्रतिपर्ण में दर्ज अनुक्रमांक के क्रमानुसार उत्तरपुस्तिकाओं को जमाकर बंडल तैयार करेंगे। यह विशेष ध्यान रखें कि जिस विषय कोड की उत्तरपुस्तिकाएँ बंडल में रखी जा रही हैं केवल उसी कोड के पर्ण/प्रतिपर्ण बंडल में रखा जाना अनिवार्य है। साथ ही प्रत्येक बंडल में बिना अनुक्रमांक वाले पर्ण/प्रतिपर्ण की एक प्रति अनिवार्यतः रखकर ही बंडल सील करें। परीक्षा केन्द्रों के लिए इस संबंध में जारी पृथक निर्देश का भी अवलोकन एवं पालन अनिवार्यतः करे।

21. उत्तर पुस्तिकाओं के प्रत्येक बंडल के अंदर निम्नलिखित जानकारी अवश्य रखे-

1. जिन परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाएँ रखी गई हैं उनके अनुक्रमांक (बढ़ते हुए क्रम में)
2. विषयवार/प्रश्नपत्रवार अनुपस्थित परीक्षार्थियों के अनुक्रमांक विश्वविद्यालय पोर्टल में ऑनलाईन दर्ज करें एवं अनुपस्थित परीक्षार्थियों के अनुक्रमांक की सूची निर्धारित प्रपत्र में अथवा ऑनलाईन दर्ज किये गये अनुक्रमांक का प्रिंट आउट संलग्न करें।
3. संबंधित प्रश्नपत्र की एक प्रति।

22. उत्तर पुस्तिकाएँ विश्वविद्यालय/संघटन केन्द्रों में जमा कराने हेतु- गोपनीय विभाग से गया समय निर्देश प्रसारित किये जायेंगे।



[Signature]
Principal
Govt. G.O. Hardibazar
Hardibazar, Dist. K. No. 10 G.

23. परीक्षा संबंधी सूचना भेजना- केंद्र में परीक्षाएं सुचारु रूप से सम्पन्न हो रही हैं, इस संबंध में समय-समय पर विश्वविद्यालय को अवगत कराते रहेंगे। यदि किसी प्रकार की असुविधा हो तो यथा समय परीक्षा नियंत्रक/सहायक कुलसचिव (गोपनीय) को अवगत कराते।

24. परीक्षा कक्ष में 'साइबरनैटिक कंट्रोलर', मोबाइल फोन एवं इस तरह की अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर जाना पूर्णतः वर्जित है। परीक्षा कार्य में संलग्न केंद्राध्यक्ष/सहायक केंद्राध्यक्ष के अलावा किसी भी वीक्षक द्वारा परीक्षा कक्ष में मोबाइल फोन/अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपने साथ रखना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश से पूर्व परीक्षार्थियों की जाँच कर ही प्रवेश करने देंगे एवं किसी भी अन्य व्यक्ति को प्रवेश न करने देंगे। यदि परीक्षा कक्ष में वीक्षकों/परीक्षार्थियों के पास मोबाइल फोन/अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रखा जाना पाया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार निर्देश मुख्य परीक्षा-2018 की समयावधि के लिए ही माना होगा।

आदेशानुसार,

H. S. S.
27-2-18

परीक्षा नियंत्रक

बिलासपुर विश्वविद्यालय,

बिलासपुर (छ.ग.)

बिलासपुर, दिनांक 27/02/2018

पृ.क्रमांक/0088/परीक्षा-गोपनीय/2018

प्रतिलिपि-

1. कुलपति/कुलसचिव जी के सादर अवलोकनार्थ एवं सूचनार्थ।
2. प्राचार्य/केंद्राध्यक्ष, समस्त परीक्षा केंद्र, बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। उपरोक्त निर्देशों का अंगीकारता फलन सुनिश्चित किया जाये।
3. वित्ताभिगारी, बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ।
4. सहायक कुलसचिव (परीक्षा), बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

B. S. S.
27-2-18

सहायक कुलसचिव (गोपनीय)

बिलासपुर विश्वविद्यालय
ASSISTANT REGISTRAR
Bilaspur University
Bilaspur (Chhattisgarh)



[Signature]

Principal

Govt. Gramya Bharati College
Hardi Bazar, Distt.- Korba (C.G.)



अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
ATAL BIHARI VAJPAYEE VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (CHHATTISGARH)
 Website: www.atalbihariuniversity.in

क्रमांक / 3507/ परीक्षा-माध्यम/2019

दिनांक 02/12/2019

-:: अधिसूचना ::-

शैक्षणिक वर्ष 2019-20 में अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर से संबन्धित महाविद्यालयों हेतु विन्यासुसार-

01. प्रथम वर्ष (बी.ए./बी.कॉम./बी.बी.ए./बी.एससी./बी.एससी.होमसाइंस/बी.सी.ए./डी.सी.ए./बी.जी.डी.सी.ए./पीजी.डी.आई.पी./पीजी.डी.बी.एम.) नियमित एवं भूतपूर्व/पूरक अंतिम अवसर प्राप्त छात्र-छात्राओं को केवल परीक्षा फॉर्म भरने हेतु।
02. अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, में भूत से सम्बंधित (जिनका नामांकन हो चुका है) स्नातक/स्नातकोत्तर/बी.एड भूत एवं अंतिम नियमित/समाप्ताधी/भूतपूर्व/पूरक अंतिम अवसर प्राप्त छात्रों का केवल परीक्षा फॉर्म भरने हेतु।
03. अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, में प्रथम बार सम्मिलित (जिनके नामांकन नहीं हुए है) स्नातक/स्नातकोत्तर भूत एवं अंतिम छात्रों का नामांकन तथा परीक्षा फार्म एक साथ भरने वाले हेतु। विश्वविद्यालय के पोर्टल में ऑनलाइन आवेदन करने हेतु विन्यासुसार तिथि निर्धारित की गई है:-

1.	ऑनलाइन आवेदन करने एवं परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने की तिथि (दिनांक विलंब शुल्क)	05/12/2019 से 25/12/2019 तक
2.	ऑनलाइन आवेदन करने एवं परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने की तिथि (विलंब शुल्क रुपये 200/-)	26/12/2019 से 31/12/2019 तक
3.	परीक्षाधिकारी द्वारा ऑनलाइन भर गये परीक्षा आवेदन की हार्ड कॉपी (प्रिंट आउट) आग्रहक/दस्तावेजों संलग्न कर सम्बंधित महाविद्यालय में जमा करने की तिथि	05/12/2019 से 31/12/2019 तक
4.	परीक्षाधिकारी द्वारा ऑनलाइन भर गये परीक्षा आवेदन की हार्ड कॉपी अनिवार्य/आग्रहक/दस्तावेजों के साथ महाविद्यालय द्वारा जिलेवार विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग में जमा करने की तिथि	रायगढ़- 02/01/2020 से 03/01/2020 जंजगीर-नामपा- 04/01/2020 से 06/01/2020 कोरना - 07/01/2020 से 09/01/2020 गुणेली/पेड़ना - 09/01/2020 से 10/01/2020 बिलासपुर 11/01/2020 से 13/01/2020
5.	परीक्षा प्रारंभ होने की संगति तिथि (विरतुत विवरण पृष्ठक से जारी किया जाएगा)	01/03/2020 से

उपरोक्त परीक्षाओं हेतु विश्वविद्यालय अधिसूचना क्रमांक 1768/परीक्षा/2018 बिलासपुर दिनांक 31.05.2017 द्वारा निर्धारित परीक्षा एवं अन्य शुल्क देय होगा। उपरोक्त तिथि के बाद भी यदि छात्रों महाविद्यालय में ऑनलाइन परीक्षा आवेदन करने से कोई परीक्षार्थी घबिक्त होता है और बाद में किसी परीक्षार्थी को परीक्षा आवेदन भरने हेतु आवेदन महाविद्यालय द्वारा अर्पित किया जाता है, तो उस स्थिति में प्रति छात्र रु. 500/- की दर से पेनाल्टी राशि अपने क्लॉक से महाविद्यालय को विश्वविद्यालय में जमा करना होगा। परीक्षाधिकारी द्वारा ऑनलाइन भर गये परीक्षा आवेदन की हार्ड कॉपी अनिवार्य/आग्रहक/दस्तावेजों के साथ विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग में जमा करने की निर्धारित तिथि तक जमा नहीं करने पर प्रति छात्र रु. 500/- की दर से पेनाल्टी राशि महाविद्यालय को विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।



Principal

Govt. Gramya Eharati College
Harli Bozar, Distt. - Korba (C.G.)





अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
 ATAL BIHARI VAJPAYEE VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (CHHATTISGARH)
 website: www.bilaspuruniversity.ac.in

क्रमांक / 3507 / परीक्षा-गोपनीय / 2019

दिनांक 02 / 12 / 2019

—:: अधिसूचना ::—

शैक्षणिक रात्र 2019-20 में अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर सं संबंधित महाविद्यालयों हेतु निम्नानुसार-

01. प्रथम वर्ष (बी.ए./बी.कॉम./बी.बी.ए./बी.एससी./बी.एससी.होमसाइंस/बी.सी.ए./डी.सी.ए./पीजी.डी.सी.ए./पीजी.डी.आई.बी./पीजी. डी.बी.एन.) नियमित एवं भूतपूर्व/पूरक अंतिम अवसर प्राप्त छात्र-छात्राओं को फेब्रुवरी परीक्षा फॉर्म भरने हेतु।
02. अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, में पूर्व से नामांकित (जिनका नामांकन हो चुका है) स्नातक/स्नातकोत्तर/बी.एड. पूर्व एवं अंतिम नियमित/स्वाध्यायी/भूतपूर्व/पूरक अंतिम अवसर प्राप्त छात्रों को फेब्रुवरी परीक्षा फॉर्म भरने हेतु।
03. अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, में प्रथम बार सम्मिलित (जिनके नामांकन नहीं हुए हैं) स्नातक/स्नातकोत्तर पूर्व एवं अंतिम छात्रों का नामांकन तथा परीक्षा फार्म एक साथ भरे जाने हेतु। विश्वविद्यालय के पोर्टल में ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निम्नानुसार तिथि निर्धारित की गयी है:-

1.	ऑनलाइन आवेदन करने एवं परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने की तिथि (बिना विलंब शुल्क)	05/12/2019 से 25/12/2019 तक
2.	ऑनलाइन आवेदन करने एवं परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने की तिथि (विलंब शुल्क रुपये 200/-)	26/12/2019 से 31/12/2019 तक
3.	परीक्षार्थियों द्वारा ऑनलाइन भरे गये परीक्षा आवेदन की हार्ड कॉपी (प्रिंट कर) आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर संबंधित महाविद्यालय में जमा करने की तिथि	05/12/2019 से 31/12/2019 तक
4.	परीक्षार्थियों द्वारा ऑनलाइन भरे गये परीक्षा आवेदन की हार्ड कॉपी अनिवार्य/आवश्यक दस्तावेजों के साथ महाविद्यालय द्वारा जिलेवार विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग में जमा करने की तिथि	रायगढ़- 02/01/2020 से 03/01/2020 जांजगीर-चाम्पा- 04/01/2020 से 06/01/2020 कोरबा - 07/01/2020 से 08/01/2020 मुंगेली/पेण्ड्रा - 09/01/2020 से 10/01/2020 बिलासपुर 11/01/2020 से 13/01/2020
5.	परीक्षा प्रारंभ होने की संभावित तिथि (विस्तृत विवरण पृथक से जारी किया जायेगा)	01/03/2020 से

उपरोक्त परीक्षाओं हेतु विश्वविद्यालय अधिसूचना क्रमांक 1768/परीक्षा/2018 बिलासपुर विभाग 31.05.2017 द्वारा निर्धारित परीक्षा एवं अन्य शुल्क देय होगा। उपरोक्त तिथि को बाद भी यदि किसी महाविद्यालय में ऑनलाइन परीक्षा आवेदन करने से कोई परीक्षार्थी वंचित होता है और बाद में किसी परीक्षार्थी पर परीक्षा आवेदन भरने हेतु आवेदन महाविद्यालय द्वारा अरोपित किया जाता है, तो उस स्थिति में प्रति छात्र रु. 500/- की दर से पेनाल्टी राशि अपने कोष से महाविद्यालय को विश्वविद्यालय में जमा करना होगा। परीक्षार्थियों द्वारा ऑनलाइन भरे गये परीक्षा आवेदन की हार्ड कॉपी अनिवार्य/आवश्यक दस्तावेजों के साथ विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग में जमा करने की निर्धारित तिथि तक जमा नहीं करने पर प्रति विभाग रु. 500/- की दर से पेनाल्टी राशि महाविद्यालय को विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।

